

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/87
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00078
CICOM/R/2018/00136

दिनांक: 28.03.2018

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता,
जी-8/56, प्रथम तल,
सेक्टर - 16, रोहिणी,
दिल्ली - 110089.

निर्णय की तारीख: 28.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.03.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	98/15.03.2018 (114937/09.03.2018)

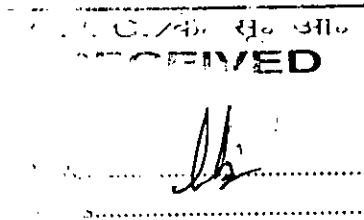
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2015/000432 से संबंधित आयोग को भेजे गए कुछ पत्रों के संबंध में सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना नहीं दी गई है एवं अनुरोध किया है कि वांछित सूचना प्रदान करवाई जाए।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.01.2018 से संबंधित सूचना श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00136 के माध्यम से दिनांक 08.03.2018 को प्रेषित की गई है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.03.2018 को ही प्रथम अपील दाखिल की गई है। श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है।

3. तद्विषय अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


28/03/18